

राजस्व न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर, जिला-दौसा

मु. नं.- 27/22

नूर मोहम्मद बनाम राजस्थान नन्नु खां वगैरह

किस्ममुकदमा- वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज बनाम..... मु.नं. 20/22 अंगु (दाव)	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	<p>13-5-25 पीठासीन अधिकारी अन्य राज्य कार्य में व्यस्त होने के कारण न्यायिक कार्य नहीं हो सका। पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 16-6-25 को पेश हो।</p> <p>10.6.25 पत्रावली पेश हुई। वकील कादी उपस्थित। प्रतिवादी स. वा. लणा 03 के तलवाना सम्मन अक्षर। पत्रावली पूर्वानुसार वाही तलवी दिनांक 01.7.25 को पेश हो।</p>	
	<p>उपखण्ड अधिकारी मंडावर (दौसा)</p> <p>01.7.25 डायनिशाषकों द्वारा न्यायिक कार्य स्थगन रखा गया जिससे न्यायिक कार्य नहीं हो सका। पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 7/8/25 को पेश हो।</p>	
	<p>07/8/25 पीठासीन अधिकारी अन्य राज्य कार्य में व्यस्त होने से न्यायिक कार्य नहीं हो सका। पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 16/9/25 को पेश हो।</p> <p>16.9.25 पत्रावली पेश हुई। पत्रावली के पार...</p>	

राजस्व न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर, जिला-दौसा

मु. नं.- 27/22 नूर मोहम्मद बनाम राजस्थान नन्नु खां वगैरह
 किस्ममुकदमा- वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज

तारीख हुक्म

..... शिबूदयाल बनाम अंशु (दादा)
 मु.नं. 28/22

नम्बर व त
 अहकाम जो
 की तामील में

आवाज दिलवाई गई। उभय पक्षा अनुपस्थित
 हैं। पत्रावली लम्बे समय से तलवी में
 लंबित है। वादी को 02 निर्देशों के
 आवजूद भी वादी द्वारा प्रतिवादी से 01 अर्पण
 03 के तलवाना सामन पेश नहीं किये और
 निर्देशों की अवहेलना की गई। इससे स्पष्ट
 है कि वादी पत्रावली में कोई भी अर्पणादी के
 लिए रच्युक्त नहीं हैं। इसलिए पत्रावली वादी
 की अहम हाजरी व अहम पैरवी में खारिज की
 जाती है। जावकी में लल शुभाद लेबर शामिल
 दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
 मण्डावर (दौसा)